

न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर
अपील संख्या- 14/2019 निगरानी अंतर्गत नियम 30 नगर सुधार अधि.
(GCMS No. 2019/00138)

अनवान:

1. श्रीमती पुष्पा देवी पत्नी स्व. वैद प्रकाश गुप्ता जाति अग्रवाल निवासी सं. वार्ड-45, सुदर्शना नगर, बीकानेर।

बनाम

1. सचिव, नगर विकास न्यास, बीकानेर।
2. श्रीमती सुमन दगदी पत्नी श्री अनिल कुमार जाति दगदी निवासी वृन्दावन, 2/74, आदर्श नगर, अजमेर रोड़, ब्यावर, जिला अजमेर मु. आ. राजेन्द्र सिंह गहलोत पुत्र श्री गोविन्द सिंह उर्फ गोपीराम निवासी खेजड़े वाली गली, अलख सागर कुआं, बीकानेर।

3.11.25

पत्रावली प्रस्तुत हुई। अभिभाषक अपीलांत अनुपस्थित। अभिभाषक अपीलांत एवं अपीलांत को बार-बार आवाज लगाई गई, बार-बार आवाज लगाए जाने के बावजूद न तो अभिभाषक अपीलांत उपस्थित हुए एवं न ही अपीलांत स्वयं उपस्थित हुए। अपीलान्त द्वारा जरिये अभिभाषक न्याय की वांछा लेकर इस न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की गयी, लेकिन अभिभाषक अपीलांत को लगातार पाबन्द करने के बावजूद भी आदिनांक उपस्थित नहीं हुए। न्याय चाहने की तत्परता व कोशिश का अभाव अपील चलाने में अरुचि जाहिर करती है। अतः उक्त अपील अपीलान्त राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 63(1) के तहत अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय को आदेश की प्रमाणित प्रति प्रेषित होकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावे। आदेश सुनाया गया।

(विश्राम/मीना)
संभागीय आयुक्त,
बीकानेर

